न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **2017/63** दायर दिनांक **21.03.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मो0 अयूब पुत्र श्री शफी 2. बबलू उर्फ मो0 जहांगीर पुत्र शफी जातिगण मुसलमान निवासीगण रामसाबास तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. बाबू पुत्र शफी 2. रफीक पुत्र शफी 3. जाकिर पुत्र शफी जातिगण व्यापारी निवासीगण रामसाबास 4. राबिया पुत्री शफी पत्नी अयूब निवासी लाल बाग कॉलानी डीडवाना 5. आसिया पुत्र शफी पत्नी सबीर निवासी अमरपुरा 6. हसीना पुत्री शफी पत्नी युसुफ निवासी मर्कज मस्जिद के पास डीडवाना 7. मैमूना पुत्र शफी पत्नी अब्दुल गफार निवासी गुदड की ढाणी तहसील डीडवाना 8. खैरून पुत्री शफी पत्नी मुमताज निवासी कापडोद की ढाणी तहसील डीडवाना 9. मेराज पुत्री शफी पत्नी अ0 मलिक निवासी आस की ढाणी तहसील डीडवाना 10. मैरून पुत्री शफी पत्नी अ0 मलिक निवासी शेखाबासनी तहसील डीडवाना 11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :– पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनांक **23.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, पक्षकारान आज मजमें आम न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बालिया में उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 01 बावजुद सूचना के अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 11 मजमें आम में उपस्थित। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 02 ता 10 ने राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा अनुसार दावा डिक्री करने का निवेदन किया। पक्षकारान ने निम्नानुसार राजीनामा पेश किया :–

हम वादीगण व प्रतिवादगण सं0 01 ता 10 स्व0 शफी के वारिसान है हमारी खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त के खेत खसरा सं0 3230 रकबा 25 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

14 बिस्वा वाकै सरहद डीडवाना में अवस्थित है। हमारे पिता शफी के स्वर्गवास के पश्चात हमारी खातेदारी में दर्ज हुआ है। हम प्रतिवादी सं0 04 ता 10 स्व0 शफी की पुत्रिया है तथा विवाहित होकर हम सभी सुसुराल में आबाद है। हमारे पांच भाई वादीगण व प्रतिवादी सं0 01 ता 03 से अच्छे संबंध है। हमउ क्त खसरा सं0 3230 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पांचों भाईयों को देते है। उक्त खसरा सं0 3230 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 से 03 के मध्य संलग्न नक्शा अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा कर दिया जावें जिसमें हम सभी पक्षकारान को कोई उजर आपत्ति नहीं है तथा प्रतिवादी सं0 04 ता 10 का हिस्सा अपने पांचों भाई वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 03 को देते है। प्रतिवादीगण सं0 04 ता 10 का नाम खातेदारी में से हटाया जावें।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर प्रतिवादी सं0 04 ता 10 का नाम खातेदारी से हटाया जाकर संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार वादीगण व प्रतिवीदगण सं0 01 ता 03 के बीच बंटवारा कर अलग अलग खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की जावें।

राजीनामा की इबारत पक्षकारान को पढकर सुनाई व समझाई गई। जिसे बिना किसी दबाव व लालच के सही होना स्वीकार किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बालिया में पेश हुई। पक्षकारान ने उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार राजीनामा पेश किया तथा जरिये राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। मजमें आम में प्रकरण की जानकारी ली गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः जरिय राजीनामा वीदगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डीडवाना के खसरा सं0 3230 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा में से वादी सं0 01 को 05 बीघा 02 बिस्वा, वादी सं0 02 को 05 बीघा 03 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 को 05 बीघा 03 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 को 05 बीघा 03 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 03 को 05 बीघा 03 बिस्वा का राजीनामा में दर्शाये संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 04 ता 10 का नाम खातेदारी में से हटाया जाता है। राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बालिया में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

दायर दिनांक 21.03.2017

राजस्व वाद संख्याः 2017 / 63

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मो0अयुब पुत्र शफी वगैराह जाति मुसलमान निवासी रामसाबास तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बाबू पुत्र शफी जाति व्यापारी निवासी रामसाबास वगैराह तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 23.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डीडवाना के खसरा सं0 3230 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा में से वादी सं0 01 को 05 बीघा 02 बिस्वा, वादी सं0 02 को 05 बीघा 03 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 01 को 05 बीघा 03 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 02 को 05 बीघा 03 बिस्वा, प्रतिवादी सं0 03 को 05 बीघा 03 बिस्वा का राजीनामा में दर्शाये संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं0 04 ता 10 का नाम खातेदारी में से हटाया जाता है। राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट वालिया में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner